न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 143/2023

1 रसुली बानो पुत्री शहबाज खां।
2 इस्लाम बानों पुत्री शहबाज खां।
3 सरीफान बानों पुत्री शहबाज खां।
4 दड़कली पत्नी शहबाज खां।
5 अब्दुल रहमान पुत्र रसीद खां समस्त जाति मुसलमान निवासीगण राजास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 इब्राहिम खां पुत्र यासीन खां।
2 अस्त अली खां पुत्र यासीन खां।
3 महमूद पुत्र शहबाज खां समस्त जाति मुसलमान निवासीगण राजास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4 हल्का पटवारी पटवार हल्का राजास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 भू–धारक तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील धारा 223 आरटीएक्ट दावा संख्या 19/2017 बउनवानी इब्राहिम खां बनाम शहबाज खां विरूद निर्णय दिनांक 19.09.2023 द्वारा उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ राजेश कुमार मीणा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री महेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जसवन्त सिंह भूरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 24.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 19/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा का दावा संख्या 19/2017 बउनवानी इब्राहिम खां बनाम शहबाज खां आदि प्रस्तुत कर दावे में अंकित हक हिस्से अनुसार बंटवारे की 1/3,1/3 डिकी जारी करने की इस्तदुआ की प्रकरण में अपीलांट/प्रतिवादी ने हाजीर अदालत आकर दावे का जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 64,103,169,336/1,336/2 कुल रकबा 16.57 हैक्टेयर के अलावा आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 4.39 हैक्टेयर भूमि पक्षकारान के खाते कब्जे काश्त की होने का कथन करते हुये विवादित भूमियों का पक्षकारान के पूर्वजो के बीच दिनांक 10.09.1991 को ही बंटवारा कर लेने का कथन करते हुये उसी अनुसार बंटवारा कर दिया जाकर खसरा नम्बर 65 मे वादीगण का 1/3 प्रतिवादीगण का 1/3 शेष 1/2 हिस्सा दराब खां के वारिसो के नाम दर्ज करने की इस्तदुआ की गई। प्रकरण में बंटवारे की प्रारम्भिक डिकी जारी कर बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये गये जिसमें खसरा नम्बर 65 को शामिल नही किये जाने पर पुनः बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जिस पर बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रतिवादी अपीलांट द्वारा आपत्ति बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी/रेस्पोडेंट की आपत्ति को अस्वीकार कर दुरूस्ती की डिकी दिनांक 19.09.2023 को बंटवारे की फाईनल डिकी जारी कर दी गई है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट दौराने अपील दिनांक 22.03.2024 को राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट दौराने अपील दिनांक 22.03.2024 को राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया है। राजीनामा इस न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। प्रकरण राजीनामें के परिपेक्ष्य में निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को राजीनामें के परिपेक्ष्य में गुणावगुण पर विवेचन कर अन्तिम निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर